बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) संशोधन नियमावली, 2017

संख्या–5न0वि0/विविध–21/17 6532 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–419 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) नियमावली, 2013 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–**

(1) यह नियमावली बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार बिहार राज्य के संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **उक्त नियमावली, 2013 के नियम–3 का खण्ड (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–**

"(क) अवधारित करेगी कि चालीस हजार और उससे अधिक की जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के प्रत्येक वार्ड में एक क्षेत्र सभा होगी;"

3. **उक्त नियमावली, 2013 के नियम 18 के उप नियम (3) के खंड (च) के बाद निम्नलिखित खंड (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट) एवं (ठ) जोड़े जाएंगे:–**

"(छ) नगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराए गए नागरिक सुविधाओं के विरूद्ध उपभोक्ता शुल्क की वसूली का अधिकार होगा।"

"(ज) संकलित राशि वार्ड समिति के नाम से अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में संधारित बैंक खाता में जमा की जायगी।"

"(झ) उक्त बैंक खाते का संचालन वार्ड समिति के अध्यक्ष तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।"

"(ञ) वार्ड समिति की प्रथम बैठक इसके गठन के तुरंत बाद होगी तथा उसके पश्चात तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक आहूत की जायेगी।"

"(ट) संकलित राशि का व्यय नगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराए गए नागरिक सुविधाओं से संबंधित आधारभूत संरचना के रख–रखाव पर किया जायेगा।"

"(ठ) वार्ड समिति द्वारा लेखा का संधारण तथा आय–व्ययक विवरणी का सार्वजनिक प्रकाशन किया जायेगा।"

4. उक्त नियमावली, 2013 के नियम 19 के उप नियम (1) के खंड (ड.) के बाद निम्नलिखित खंड (च) जोड़ जाएगाः–

"(च) वार्ड में संचालित योजनाओं का प्रबंधन, संधारण एवं अनुश्रवण करना।"

बिहार सरकार के आदेश से
5/10/2017
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5न0वि0/विविध–21/17 6532 न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक–06/10/17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे कृपया मुद्रित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5/10/2017
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5न0वि0/विविध–21/17 6532 व0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक–06/10/17

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/10/2017
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5न0वि0/विविध–21/17 6532 न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक–06/10/17

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/10/2017
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5न0वि0/विविध–21/17 6532 न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक–06/10/17

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक–सह–अपर सचिव/विशेष सचिव/उप सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी शहरी स्थानीय निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/10/2017
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं0–5न0वि0 / विविध–21 / 17 6532 अधिसूचना संख्या दिनांक–06 | 10 | 17 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
5/10/2017
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

The Bihar Municipal Ward Committee (Community Participation) (Amendment) Rules, 2017.

Memo No-5N.Vi/vividh-21/17 UD&HD- Patna, Dated- In exercise of the powers conferred by section 419 of Bihar Municipal Act, 2007 the Governor of Bihar is pleased to make the following Rule to amend the Bihar Municipal Ward Committee (Community Participation) Rules, 2013:-

1. Short title, extent and commencement. (1) These Rules may be called The Bihar Municipal Ward Committee (Community Participation) (Amendment) Rules, 2017.

(2) It shall extend to the whole Municipal area of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once

2. Clause (a) of Rule 3 of the said Rules, 2013 shall be substituted by following:-

"(a) determine that municipality with population of forty thousand and above shall have an area sabha in each ward;

3. The following clauses (g), (h), (i), (j), (k) and (l) shall be added after clause (f) of subrule (3) of Rule 18 of the said Rules, 2013:-

"(g) It will the power to realise the user fees for the civil facilities provided by the Municipalities:

(h) Collected amount will be deposited in the Bank Account maintained in the Notified Commercial Bank in the name of Ward Samittee.

(i) Operation of the said Bank Account will be by joint signatures of the Chairman and the secretary of the Ward Committee.

(j) First meeting of the Word Committee will be held immediately after its constitution and thereafter the meeting will be conven at least once in three months.

(k) Expenditure of collected amount will be made on the maintenance of the infrastructures relating to the civil facilities provided by the Municipality.

(l) Maintenance of account and statement of income and expenditure will be published publically by the Ward Committee."

4. The following clause (f) shall be added after clause (e) of sub rule (1) of Rule 19 of The said Rules 2013:-

" (f) to manage, maintain and monitor the schemes conducted in the ward."

By the order of the Governor of Bihar
5/10/2017
Principal Secretary
Urban Development and Housing Department.

Memo No-5N.Vi/vividh-21/17 6533 UD&HD Dated:-06|10|17

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette/ E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna for Publication in E-Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

5/10/2017

Principal Secretary
Urban Development and Housing Department.

Memo No-5N.Vi/vividh-21/17 6533 UD&HD Dated:-06|10|17

Copy to Chief Secretary, Bihar, Patna/All Principal Secretary/Secretary/ All Divisional Commissioner/All District Magistrates for information and necessary action.

5/10/2017

Principal Secretary
Urban Development and Housing Department.

Memo No-5N.Vi/vividh-21/17 6533 UD&HD Dated:-06|10|17

Copy to Principal Secretary, to Chief Minister of Bihar/ Private Secretary to Minister Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

5/10/2017

Principal Secretary
Urban Development and Housing Department.

Memo No-5N.Vi/vividh-21/17 6533 UD&HD Dated:- 06|10|17

Copy to PPS to Principal Secretary/Director-Cum-Additional Secretary/Special Secretary/ Deputy Secretary /All Section Officers of Urban Development and Housing Department/ All Urban Local Bodies for information and necessary action.

5/10/2017

Principal Secretary
Urban Development and Housing Department.